



फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/82/2020-21

17 मार्च, 2021

सेवा में,

श्रीमती व्ही. पार्वती
पत्नी स्व. श्री व्ही. नायडू,
क्वार्टर नं. 16/एफ, सडक नंबर,
एवेन्यू डी, खुसीपार जोन-2, भिलाई,
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

कृपया अपने 10.03.2021 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 15.03.2021 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ.सं. 56F 598999 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को दिनांक 27.06.2020 को प्रेषित अपने पत्र पर की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको सूचित करना है कि आपके दिनांक 27.06.2020 के पत्र को इस सचिवालय द्वारा उचित ध्यानाकर्षण/कार्रवाई हेतु श्रीयुत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ को 07.08.2020 को अग्रसारित कर दिया गया था जिसकी एक प्रति आपको भी प्रेषित की गई थी (प्रति संलग्न)। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे श्रीयुत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के कार्यालय से संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

hurbi.shakeel@nic.in